जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 13-10-2021**

आज दिनांक 13.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

07 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त मदरसा मौलवी गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीश भादौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना मेंहादवल पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 294/21 धारा 376 (2)(च) भा0द0वि0 व 5(एफ)(एम) / 6 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता मुस्ताक पुत्र मो0 अब्दुल रज्जाक निवासी बलुहिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.10.2021 को वादिनी की 07 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ मदरसे में दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 11.10.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 13.10.2021 को थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल मय हमराह।

हत्या व साजिश के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/21 धारा 302/34 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता माले राय उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र रामसेवक राय निवासी बौरव्यास थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा साजिश करके दिनॉक 24.07.2021 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बौरव्यास निवासी लक्ष्मण पाण्डेय पुत्र रघुनन्दन पाण्डेय उम्र लगभग 52 वर्ष जो कि भारतीय किसान यूनियन के

नेता थे की उनके गाँव के बाहर हत्या कर दी गयी थी । जिसके उपरान्त थाना बखिरा पुलिस द्वारा दिनांक 24.07.2021 को वादिनी सत्या पाण्डेय पुत्री स्व0 लक्ष्मण पाण्डेय निवासी बौरव्यास थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर (मृतक की पुत्री) की लिखित तहरीर के आधार मु0अ0सं0 216/2021 धारा 302/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। पूर्व में दिनांक 26.07.2021 को घटना मे संलिप्त मुख्य अभियुक्त अजय राय पुत्र हरिराम राय निवासी बौरव्यास थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को एक अदद आलाकत्ल भुजाली के साथ गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया था । आज दिनांक 13.10.2021 को घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष बखिरा उ0नि0 श्री चन्दन कुमार, हे0का0 देवेन्द्र यादव, का0 जीतेन्द्र शाह, का0 रितेश कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 2546 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u>– पीआरवी <u>2546</u> को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत धायपोखर से इवेन्ट संख्या 06184 से कालर ने जमीन की बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 04 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर मारपीट / विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –आ0 रमेश सिंह यादव, आ0 शुभम कुमार गुप्ता, हो0चा0 राकेश गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनो से 52500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनो से 52500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।